न्यायालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर(म.प्र.)

क्रमांक / रीडर–1 / 2017 / 4568 / अलीराजपुर, दिनांक 14/11/17

प्र0क / 47 / अ–19 (3) / 2016–17

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 14 / 11 / 2017)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–16 कुक्षी, जिला धार के पत्र क्रमांक 1434 दिनांक 20.07.2017 द्वारा अनुरोध किया गया है परियोजना के निर्माण हेतु अलीराजपुर जिले के सोण्डवा, उमराली क्षेत्र की लगभग 17 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। कृपया वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अलीराजपुर जिले में वन भूमि के साथ लगी हुई 17 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

आवेदित भूमि संबंधित वन विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में तहसीलदार सोण्डवा ने विज्ञप्ति जारी कर आपत्तियॉ आमंत्रित की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर जॉच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा के माध्यम से भूमि अंतरित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्तुत किया गया। राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत शासकीय भूमि को हस्तांतरित करने का अधिकारी कलेक्टर को है, भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	तहसील का नाम	पटवारी हल्का नम्बर	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	सोण्डवा	67	झण्डाना	7	7.068
2	सोण्डवा	67	झण्डाना	45	10.874

मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदित भूमि शासकीय होकर मद पहाड़ दर्ज है तथा मौके पर रिक्त है। कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग का यह कथन है कि भूमि को शीघ्र हस्तांतरित करने का कष्ट करे। ताकि म0प्र0 शासन द्वारा आवंटित राशि का सदुपयोग किया जा सके। तहसीलदार सोण्डवा एवं अनुविभागीय अधिकारी सोण्डवा ने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने की अनुशंसा की है।

प्रस्तावित भूमि तहसीलदार सोण्डवा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा के प्रतिवेदन से सहमत होकर राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड–एक–क्रमांक–सात में निहित प्रवधान तथा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक 6–4 / 7 / 95 / सात / सा–2 / बी / दिनांक 07.08.1997 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत प्रकरण में प्रस्तावित राजस्व भूमि सर्वे नम्बर 7 रकबा 7.068 (मद पहाड़) एवं सर्वे नम्बर 45 रकबा 10.874 (मद पहाड़) हेक्टेयर

शासकीय भूमि वन विभाग म0प्र0 शासन को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह भूमि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम–1927 के अन्तर्गत उद्‌वहन परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली भूमि के बदले दी जा रही है।

उक्त अंतरित भूमि का उपयोग विभाग द्वारा प्रदर्शित प्रयोजन हेतु ही थिा जावेगा। भविष्य में भूमि की आवश्यकता नहीं होने पर भूमि स्वतः वर्तमान रूप में अंकित हो जावेगी। अतः वन मण्डलाधिकारी तुरंत आवश्यक कार्यवाही कर तद्‌नुसार अवगत करावें।

हस्तांतरित भूमि का सीमांकन तहसीलदार सोण्डवा द्वारा किया जाकर भूमि का कब्जा वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर को सौपा जाए। कब्जा रसीद इस न्यायालय को भेजे। तद्‌नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जाए।

आदेश पारित एवं घोषित किया गया।

(गणेश शंकर मिश्रा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर(म0प्र0)

पृ0क्रमांक / 4569 / रीडर / 2017 अलीराजपुर दिनांक 14/11/17

प्रतिलिपिः– (आश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ)

1– प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व / वन विभाग भोपाल।
2– आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
3– मुख्य वन संरक्षक, वृत्त इन्दौर।
4– वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल अलीराजपुर।
5– कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–16 कुक्षी जिला धार।
6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोण्डवा।
7– तहसीलदार, तहसील सोण्डवा की ओर आदेश अनुसार भूमि का रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर